छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा पंचादश सत्र अंक-03

रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 जनवरी, 2023

(पौष 12, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. नव वर्ष की शुभकामनायें

माननीय अध्यक्ष ने सदन की ओर से माननीय सदस्यों को नव वर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं दी ।

2. शपथ/प्रतिज्ञान

माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को सूचित किया गया कि छत्तीसगढ़ की पंचम विधान सभा के लिये निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-80 भानुप्रतापपुर (अजजा) से उपनिर्वाचन में निर्वाचित सदस्य, श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी ने शपथ ली तथा सदस्य नामावली में हस्ताक्षर कर सभा में अपना स्थान ग्रहण किया ।

3. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री मंगलराम उसेण्डी, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये।

सर्वश्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष, मोहन मरकाम, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए ।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.12 बजे स्थगित की जाकर 11.23 बजे पुनः समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

4. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 07 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 34 तारांकित एवं 67 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

5. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 01 पर चर्चा के दौरान श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुये सदन से बहिर्गमन किया गया ।

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री टी.एस. सिंहदेव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008, (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार अनुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2021-22 (दिनांक 01 जुलाई,2021 से 30 जून, 2022 तक),

(2) श्री मोहम्मद अकबर, परिवहन मंत्री ने छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-

(i) एफ 5-1/आठ-परि./2022, दिनांक 19 जुलाई, 2022 तथा

(ii) एफ 5-10/आठ-परि./2020, दिनांक 02 अगस्त, 2022,

(3) श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22,

(4) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार

(i) छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष, 2021-22,

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपैक्स बैंक) शेड्यूल्ड बैंक का अंकेक्षित वित्तीय पत्रक (ऑडिट रिपोर्ट) वर्ष 2021-22,

(iii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित की आडिट टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2021-22,

(iv) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित की अंकेक्षण टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2021-22, तथा

(5) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक -

(i) एफ 15-27/15-2/2021/3, दिनांक 06 अक्टूबर, 2021, तथा

(ii) एफ 15-25/15-2/2022/4, दिनांक 19 सितम्बर, 2022,

पटल पर रखे ।

7. माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सचिव, विधान सभा द्वारा पंचम विधान सभा के जुलाई, 2022 सत्र में पारित कुल 13 विधेयकों में से 11 विधेयकों पर तथा दिसम्बर, 2022-जनवरी, 2023 सत्र में अभी तक पारित कुल 3 विधेयकों में से 1 विधेयक पर माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

8. पृच्छा

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने कथन किया कि छत्तीसगढ़ में पूरा कांस्टीट्यूशनल ब्रेकडाऊन है, क्वांटिफायबल डाटा की रिपार्ट को सदन के पटल पर रखे जाने की मांग की ।

श्री मोहन मरकाम सदस्य ने भी आरक्षण विधेयक के संबंध में विचार व्यक्त किये ।

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.08 बजे स्थगित की जाकर 12.45 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि महामहिम राज्यपाल जी एक उच्च संवैधानिक, सम्मानित पद पर हैं । मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, उनके सम्मान के प्रतिकूल यहां कोई बात नहीं होनी चाहिए। उनके सम्मान के प्रति कोई अमर्यादित बात न कहें, यह मेरा आपसे आग्रह है।

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.56 बजे स्थगित की जाकर 1.34 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम (7) का कार्य पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की ।

(पक्ष/ प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भगृह में आये ।)

9. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

श्री धरमलाल कौशिक, डॉ.रमन सिंह, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, ननकीराम कंवर, अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, डमरूधर पुजारी, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू ।

अपराह्न 1.37 बजे, विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 3 जनवरी, 2023 (पौष 13, शक संवत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा